न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 78/2012

1 रामलाल (मृतक)।
1/1 गंगा देवी पत्नी रामलाल।
1/2 लिछमण पुत्र रामलाल।
1/3 सांवरमल पुत्र रामलाल।
1/4 रतनी पुत्री रामलाल।
1/5 संतोष पुत्री रामलाल।
2 अमरचन्द पुत्र सुवालाल समस्त जाति नाई निवासीगण सामी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गिरवर सिंह पुत्र छिगनसिंह।
2 सुगन कंवर पत्नी इन्द्रसिंह।
3 राजेन्द्र सिंह इन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण सामी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 पंजाब नेशनल बैंक लोसल जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खुड जरिये शाखा प्रबन्धक।
6 भूमिधारी तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री मुकदमा नम्बर 10/2011 दिनांक
15.12.2011 द्वारा सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर
श्रीमती सुनिता एन.एल.वर्मा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—31.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2011 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 2.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 ररकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 1.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाहा खसरा नम्बर 35 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.39 हैक्टेयर है कुल किता 9 कुल रकबा 7.46 हैक्टेयर राजस्व ग्राम सामी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका अपीलांट 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदारी कदीम से चला आ रहा है। उपरोक्त भूमियों के सम्बंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 की और से खातेदारी उदघोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा निमित एक मिथ्या दावा संख्या 10/2011 पेश किया। जिसमें अपीलांट दिनांक 07.02.2011 को जरिये वकील हाजीर आये तथा जवाब दावे में काउन्टर क्लेम पेश किया तथा पत्रावली जवाब काउन्टर क्लेम हेतु नियत होने पर भी विचाण न्यायालय द्वारा घोषणा के दावे में बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.10.2011 जारी कर दी। उक्त आदेश जारी होने के बाद पत्रावली इंतजार बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 03.11.2011 नियत की गई । इसके पश्चात दिनांक 25.11.2011 व उसके बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

06.01.2012 तारीख पेश मुर्कर की गई। दिनांक 06.01.2012 को वकील अपीलांट न्यायालय में गये तो उन्हे पता चला की दिनांक 15.12.2011 को फाईनल डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 07.02.2011 को काउन्टर क्लेम हेतु नियत थी। काउन्टर क्लेम का कभी जवाब प्रस्तुत नही हुआ। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को मौका रिपोर्ट हेतु नोटिस जारी किया गया था जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर है लेकिन नियत तिथि को मौका नही देखा गया है। प्रकरण में मूल विवाद रास्ते को लेकर है। फर्द मौके में भी रास्ता चालु नही होना बताया गया है। रेस्पोडेंट को भी रास्ते की आवश्यकता नहीं है। पक्षकार बाहमी विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकिया की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय में तनकीयात कायम नही कर मनमाना निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन नियमो की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में इस अपील के स्तर पर प्राथमिक डिक्री के सन्दर्भ में उठाई गई विधिक आपत्तियां विचारणीय नही है। अपीलांट विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित रहा है। अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव के विरूद्व विचारण न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। वर वक्त बहस अपील अपीलांट ने स्वीकार किया है कि पक्षकारों के मध्य मूल विवाद रास्ते को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट को रास्ते की आवश्यकता नही है। विभाजन के बाद में सभी पक्षकारों को रास्ता दिया जाता है। यह विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार रास्ते का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रावधान कर अन्तिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में इस अपील के स्तर पर प्राथमिक डिक्री के सन्दर्भ में उठाई गई विधिक आपत्तियां विचारणीय नही है। अपीलांट विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित रहा है। अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव के विरूद्व विचारण न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। वर वक्त बहस अपील अपीलांट ने स्वीकार किया है कि पक्षकारों के मध्य मूल विवाद रास्ते को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट को रास्ते की आवश्यकता नही है। विभाजन के बाद में सभी पक्षकारों को रास्ता दिया जाता है। यह विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार रास्ते का प्रावधान कर अन्तिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर